

## फर्द अहकाम


पुरबीघा बनाम विश्वराम

पालय सहायक कलक्टर (FJ) शाहपुर - जयपुर

पा 35/2020

प्राठपत्र 22 T-I

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/3/24	<p>पत्रावली पेशा हुई। पत्नील जार्जी उपर। पत्नील जार्जी का अस्थाई निलेधारता हेतु एकपक्षीय अदालत हुई गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं अदालत पर मनन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विकसित करकी खसरा नंबर 4534/845 रकबा 0.35, 4555 रकबा 1.13 है कुल ठीका 2 कुल रकबा 1.4800 है जाम कल्याणपुर तहसील शाहपुर का जार्जी रिकॉर्ड खतिना कारतमा नहीं है। इसलिए उभय दृष्टतया मामला जार्जी के फर्द में साबित होना नहीं पाया गया। रिकॉर्ड खतिना कारतमा नहीं होने के कारण अपूर्ण विधान एवं सुविधा का संकुलन भी जार्जी अपने फर्द में साबित करने में असफल रहा है अतः जार्जी का जर्जना-पत्र अस्थाई निलेधारता सारदीन होने के कारण खतिना किया जाता है पत्रावली फर्द सुमार खसरा नंबर के अम हो व बंध पाह के हमफिता रहे।</p>	

  
 सहायक कलक्टर  
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.